

22.0 निगमित सुशासन :

निगमित शासन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अंशधारकों की आकांक्षों एवं सामाजिक प्रत्याशाओं को पूर्ण करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो संगठन के संघटकों के मध्य अंशधारकों के मान को अतिशय, कार्य-पद्धति में पारदर्शिता, मान्यताएँ एवं पारस्परिक विश्वसनीयता के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। निगमित सुशासन एक संस्कृति है जो अंशधारकों के सर्वोत्तम हित के लिए निदेशक मण्डल, प्रबंधन और कर्मियों का मार्ग-दर्शन करती है। यह तत्वतः रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक वैचारिक गतिविधियों को अंतर्वलित करती है जो विभिन्न हितधारकों के मान को बढ़ाती है जो निगमित इकाई के अन्त्य ग्राहकों सदृश व्यवहृत की जाती है।

आपकी कंपनी परिचालन के समस्त क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्कपटता, जबाबदेही, और औचित्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने, हितधारकों के मूल्यों में संवृद्धि के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने समस्त हितधारकों के आकांक्षों को पूर्ण करने, समस्त हितधारकों को सारी तात्त्विक सूचना का समय और संतुलित प्रकटीकरण एवं उनके हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखियों के शमन करने और नीतिगत क्रियाव्ययन में घटनाएँ और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से सही भाषा एवं भाव की दृष्टि से भूमि कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन करने के लिए एक आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की है।

आपकी कंपनी का निगमित सुशासन पर एक रिपोर्ट उपाबंध-VI में संलग्न किया जाता है और इस रिपोर्ट के उपाबंध-VII में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कंपनी द्वारा निगमित सुशासन के दशाओं के अनुपालन से संबंधित संपरीक्षकों से एक प्रमाणन भी संलग्न किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसरण में वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का वार्षिक विवरणी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक - <http://www.easterncoal.gov.in/ARECL21-22.pdf>



सोनपुर बाजारी, ईसीएल में ड्रैगलाइन प्रचालन में है